



# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वारा

Tel/Fax No. 01382.228467

E.mail.dfo lansdowne@yahoo.com



पत्रांक:- 220 /12-1 ,दिनांक, कोटद्वार, 20/02/ 2024

सेवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी,  
देहरादून, उत्तराखण्ड।

विषय:-

Construction of 4-laning of kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad- kotdwar to kotdwar-Pauri road in the state of Uttarpradesh and Uttarakhand under bharat mala Pariyojana Lot-4/package-2.

संदर्भ:-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक- 1826/12-1 दिनांक 22.02.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में अवगत कराना है, Construction of 4-laning of kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad- kotdwar to kotdwar-Pauri road in the state of Uttarpradesh and Uttarakhand under bharat mala Pariyojana के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर आपके द्वारा क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु पूर्व में चयनित अवनत वन भूमि के स्थान पर वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत जारी Rules दिनांक 28.06.2022 के अनुसार राज्य सरकार की परियोजनाओं हेतु क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के लिये Non Forest Land आवश्यक है। इस हेतु क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु पूर्व में चयनित अवनत वन भूमि के स्थान पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा Non Forest Land का चयन किया गया है। उक्त के क्रम में भाग-2 में पूर्व में चयनित अवनत वन भूमि से सम्बन्धित सूचना को संशोधित किये जाने का प्रयास किया गया, किन्तु परिवेश पोर्टल में संशोधन नहीं हो पाया, उक्त के निराकरण हेतु परिवेश पोर्टल में शिकायत दर्ज की गयी। परिवेश पोर्टल के माध्यम से दर्ज शिकायत के समाधान में अवगत कराया गया, कि "As it's a Central government agency. In Parivesh 1.0, NFL for such cases are not applicable and can not be filled by UA. DFO can only fill DFL details." (Screen shot Attached). जिस हेतु MOEFCC द्वारा परिवेश पोर्टल में दिये गये समाधान के अनुसार भाग-2 में अवनत वन भूमि से सम्बन्धित सूचना यथास्थान अपलोड कर दी गयी है एवं उक्त प्रकरण में आपके कार्यालय पत्रांक- 1826/12-1 दिनांक 22.02.2024 द्वारा प्रस्ताव में इंगित आपत्तियों का निराकरण इस कार्यालय के पत्रांक 4542/12-1 दिनांक 07.06.2024 द्वारा पूर्व में प्रेषित की गई है।

अतः उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र पन्त)

प्रभागीय वनाधिकारी,

लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वारा।

पत्रांक 220 /12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि-1- वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

प्रतिलिपि-2- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राधिकरण, पी0आई0यू0,नजीबाबाद जिला बिजनौर को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(नवीन चन्द्र पन्त)

प्रभागीय वनाधिकारी,

लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वारा।